



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 786]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 10, 2016/कार्तिक 19, 1938

No. 786]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 10, 2016/KARTIKA 19, 1938

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2016

सा.का.नि. 1061 (अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग), नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमवली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्: -

- (1) इन विनियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियमावली, 2016 कहा जाएगा।
 - (2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में छत्तीसगढ़ शीर्षक और उसके अन्तर्गत आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"छत्तीसगढ़

राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ छूटी पद	105
मुख्य सचिव	1
अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड	1
कृषि उत्पादन आयुक्त	1
सरकार के प्रधान सचिव	7
महानिदेशक, प्रशासनिक अकादमी	1

प्रधान सचिव, एचसीएम	1
मुख्य चुनाव अधिकारी	1
सचिव, सरकार	11
राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष	1
आयुक्त, वाणिज्य कर	1
आयुक्त, छत्तीसगढ़ सरकार, नई दिल्ली	1
रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियां	1
श्रम आयुक्त	1

उत्पाद आयुक्त	1
आयुक्त, जनजातीय विकास	1
आयुक्त, उद्योग	1
विकास आयुक्त	1
मंडल आयुक्त	5
आयुक्त, कृषि	1
आयुक्त, परिवहन	1
आयुक्त, भूमि अभिलेख	1
समाहर्ता	27
कार्यकारी निदेशक, डीआरडीए और पदेन, सीईओ, जिला पंचायत/अपर समाहर्ता	11
नगर निगम आयुक्त	02
सरकार के अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव	14
निदेशक, सार्वजनिक अनुदेश	1
निदेशक, महिला और बाल विकास	1
निदेशक, शहरी प्रशासन	1
निदेशक, पंचायत एवं समाजिक कल्याण	1
निदेशक, नागरिक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता सुरक्षा	1
सचिव, लोक सेवा आयोग	1
निदेशक, कोषागार एवं लेखा	1
निदेशक, संस्थागत वित्त	1
निदेशक, बजट	1
निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा	1
1. कुल बरिष्ठ ब्यूटी पद	105
2. केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 40% से अधिक नहीं	42
3. राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 25% से अधिक नहीं	26
4. प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 3.5% से अधिक नहीं	03
5. छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 16.5% से अधिक नहीं	17
6. भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अन्तर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1, 2, 3 और 4 के 33 1/3 % से अधिक नहीं	58

7.	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मर्दे 1+2+3+4+5 -6)	135
	कुल प्राधिकृत पद संख्या	193".

[फा. सं. 11031/06/2015-अ.भा.से. -II(क)]

राजेश कुमार यादव, अवर सचिव

टिप्पणी (1): इस अधिसूचना के जारी होने के पूर्व, छत्तीसगढ़ की कुल प्राधिकृत संख्या 178 थी।

टिप्पणी (2): प्रधान विनियम 22 अक्टूबर, 1955 की एस.आर.ओ. सं. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे तथा छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा उन्हें संशोधित किया गया था: -

क्रम संख्या	सा.का.नि. संख्या	तारीख
1.	811(अ)	21.10.2000
2.	812(अ)	21.10.2000
3.	427	18.12.2004
4.	230(अ)	27.03.2008
5.	188(अ)	24.03.2009
6.	431अ	20.05.2010

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2016

G.S.R. 1061(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rules (1) and (2) of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of **Chhattisgarh**, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Third Amendment Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, in the Schedule, for the heading "**Chhattisgarh**" and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:—

"Chhattisgarh

	Senior Duty Posts under the State Government	105
	Chief Secretary	1
	President, Board of Revenue	1
	Agriculture Production Commissioner	1
	Principal Secretary to Government	7
	Director General Administrative Academy	1
	Principal Secretary to HCM	1
	Chief electoral Officer	1
	Secretary to Government	11
	Member Board of Revenue	1
	Commissioner, Commercial Taxes	1
	Commissioner, Govt. of Chhattisgarh, New Delhi	1
	Registrar, Co-operative Societies	1
	Labour Commissioner	1